फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेड़ा जिला बून्दी

वकील्बैभारा .... बनाम .... सरकार

किस्म मुकदमा:– 136 LR Act नं. 157 / प्रा0पत्र / सत्र / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इंनिश्चियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
4/3/24	प्रार्थना पत्र सरिश्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रार्थी मय वकील उपस्थित है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाये। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 9/4/24 को पेश हो।	
9/4/24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. तलबी रिपोर्ट अप्राप्त। TDR Taleda से मौका एवं रेकार्ड की रिपोर्ट तलबी हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी रिपोर्ट एवं TDR रिपोर्ट दि. 7/5/24 को पेश हो।	
7/5/24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 14/5/24 को पेश हो।	
14.5.24	वकील वादी उप., TDR report प्राप्त। वकील वादी बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश 29.5.24 को पेश हो।	
29/5/24	पत्रावली आज आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर नाम संशोधन किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर जा. मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.11 12:19:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती हरबिन्दर डी0 सिंह R.A.S

मिसल नं0 **39/दावा/2023**	**तारीख दायरा** **31.03.2023**	**तारीख फैसला** **29.05.2024**

बद्रीकैलाश उम्र 49 वर्ष पुत्र श्री छितरलाल जति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
वकील प्रार्थीया :- श्री नन्दसिंह सौलंकी
वकील अप्रार्थी :- पेरोकार सरकार

:: निर्णय ::

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट</u>

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट में प्रस्तुत किया गया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 693/37 रकबा 0.5908 हैक्टेयर वाके ग्राम खेड़ला पटवार हल्का जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बुन्दी राजस्थान में विस्थित है जिस पर प्रार्थी खातेदार के रूप मे काबिज काश्त है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 2/219 हिस्सा निहित है। उपरोक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम बद्रीकैलाश आत्मज छीतर खातेदार के रूप में दर्ज था। लेकिन बाद में बनी जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम बद्रीकैलाश के स्थान पर बद्री व कैलाश दो खातेदार के रूप में अलग-अलग दर्ज कर दिया और दोनो का हिस्सा 1/219-1/219 दर्ज कर दिया गया। जबकि बद्री व कैलाश अलग-अलग दो व्यक्ति नही होकर एक ही व्यक्ति बद्रीकैलाश आत्मज छितर है। जिसका उक्त भूमि में 2/219 हिस्सा निहित है। प्रार्थी द्वारा तहसील तालेड़ा में इस सम्बन्ध में शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तृत किया था परन्तु प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में सुधार नही किया गया। एल0आर0 एक्ट की धारा 136 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ हो तो प्रार्थी के काबिज काश्त के आधार पर एवं दस्तावेजों की जांच कर ही पुनः मौके पर जाकर रिपोर्ट मंगवा नाम शद्विकरण करवाया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण सं 1 में वर्णित कृषि भूमि की जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर दर्ज बद्री आत्मज छीतर व कैलाश आत्मज छितर के स्थान पर बद्रीकैलाश आत्मज छितर नाम दर्ज कर इन्द्राज दुरस्त करावे। गलत नाम के चलते प्रार्थी को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी द्वारा 15 दिन पूर्व तहसीलदार तालेडा से नाम शुद्धीकरण के लिए निवेदन किया। परन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थी की बात नही सूनी गई एवं प्रार्थी के नाम शुद्धिकरण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की गई। गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी को उक्त भूमि कि सम्बध में केसीसी, सरकारी/गैर सरकारी योजनाओ का लाभ नही मिल पा रहा है गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी को कई प्रकार की परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी के खातेदारी में स्थित कृषि भुमि खसरा संख्या 693/37 रकबा 0.5908 हैक्टेयर वाके ग्राम खेड़ला पटवार हल्का जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी [illegible] दस्तावेजो के आधार पर जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर दर्ज बद्री आत्मज छी[illegible] व [illegible]श आत्मज छितर के स्थान पर बद्रीकैलाश आत्मज छितर नाम दर्ज कर शुद्धिकरण के आदेश [illegible]

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 1619 दिनांक:07.05.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम रघुनाथपुरा के मजमे आम में उपस्थित ग्रामवासियान से बद्रीकैलाश पुत्र छीतरलाल के बारे जानकारी लेने पर बताया कि बद्रीकेलाश दो अलग-अलग व्यक्तियो का नाम नही होकर, एक ही व्यक्ति का नाम है। छीतर के एक ही लडका था जिसका नाम बद्रीकेलाश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.11 12:19:59 IST
Reason: SelfAttested

बद्रीकेलाश के दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में भी बद्रीकैलाश एक ही व्यक्ति का नाम है।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का पूर्व में राजस्व रेकार्ड में नाम बद्रीकैलाश अंकित था किन्तु नवीन जमाबन्दी बनने के दौरान बद्री आत्मज छीतर व कैलाश आत्मज छितर दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी बद्रीकैलाश एक ही व्यक्ति है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट से प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड में नाम संशोधित कर बद्रीकैलाश आ0 छीतरलाल अंकित किया जावे।

पेरोकार सरकार ने रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार करते हुए बद्री व कैलाश के स्थान पर बद्रीकैलाश आ0 छीतरलाल अंकित करते हुए प्रा0पत्र में अंकित तथ्यो को सही होना स्वीकार किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने से यह प्रमाणित होता है कि बद्री आ0 छीतरलाल व कैलाश आ0 छीतरलाल ग्राम रघुनाथपुरा में दो अलग अलग व्यक्ति नही होकर एक ही व्यक्ति बद्रीकैलाश आ0 छीतरलाल है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी में स्थित कृषि भुमि खसरा संख्या 693/37 रकबा 0.5908 हैक्टेयर वाके ग्राम खेड़ला पटवार हल्का जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है, में दस्तावेजो एवं रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा के आधार पर जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर दर्ज बद्री आत्मज छीतर व कैलाश आत्मज छितर के स्थान पर बद्रीकैलाश आत्मज छीतर नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी.सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2024.06.11 12:19:59 IST
Reason: SelfAttested